

**GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF LAW AND JUSTICE  
DEPARTMENT OF JUSTICE**

**LOK SABHA  
UNSTARRED QUESTION NO. 5**

**TO BE ANSWERED ON FRIDAY, THE 02.02.2024**

**Sanctioned Strength of Supreme Court and High Court Judges**

**5. SHRI MAHESH SAHOO:**

Will the Minister of **LAW AND JUSTICE** be pleased to state:

- (a) the total sanctioned strength of judges in Supreme Court and High Courts across the country along with the number of judges at present;
- (b) the number of pending cases in Supreme Court and High Courts, High Court-wise details thereof; and
- (c) whether the Government is considering increasing the strength of Supreme Court and High Court judges to get over with the pending cases, if so, the details thereof ?

**ANSWER**

**MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE) OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE; MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CULTURE**

**(SHRI ARJUN RAM MEGHWAL)**

(a) to (c): As on 29.01.2024, against the sanctioned strength of 34 Judges, the Supreme Court is functioning at full strength and there is no vacancy. As regards the High Courts, against the sanctioned strength of 1114 Judges, 783 Judges are working and 331 post of Judges are vacant in the various High Courts. The High Court-wise detail of sanctioned strength, working strength and vacancy as on 29.01.2024 is at **Annexure-I**.

The pendency of cases in courts is not only due to shortage of judges in High Courts but also due to various other factors like (i) increase in number of state and central legislations, (ii) accumulation of first appeals, (iii) continuation of ordinary civil jurisdiction in some of the High Courts, (iv) appeals against orders of quasi-judicial forums going to High Courts, (v) number of revisions/appeals, (vi) frequent adjournments, (vii) indiscriminate use of writ jurisdiction, (viii) lack of adequate arrangement to monitor, tracking and bunching of cases for hearing, (ix) assigning work of administrative nature to the Judges, etc.

The strength of the Supreme Court of India was increased from 31 to 34 Judges (including Chief Justice of India) on 9<sup>th</sup> August, 2019. Whereas the strength of High Court has increased from 906 in 2014 to 1114 Judges. Presently, no complete proposal regarding increase in Judge strength of High Courts is under consideration of the Government.

A statement regarding number of pending cases in Supreme Court and High Courts; High Court-wise is placed at **Annexure-II**.

**ANNEXURE-I****Statement showing Sanctioned strength, Working Strength and Vacancies of Judges in the Supreme Court of India and the High Courts (as on 29.01.2024)**

A.	Supreme Court	Sanctioned strength			Working strength			Vacancies		
		34			34			0		
B.	High Court	Pmt.	Addl	Total	Pmt.	Addl	Total	Pmt.	Addl	Total
1	Allahabad	119	41	160	76	14	90	43	27	70
2	Andhra Pradesh	28	9	37	22	8	30	6	1	7
3	Bombay	71	23	94	40	29	69	31	-6	25
4	Calcutta	54	18	72	37	14	51	17	4	21
5	Chhattisgarh	17	5	22	10	6	16	7	-1	6
6	Delhi	46	14	60	37	5	42	9	9	18
7	Gauhati	22	8	30	16	7	23	6	1	7
8	Gujarat	39	13	52	31	0	31	8	13	21
9	Himachal Pradesh	13	4	17	12	0	12	1	4	5
10	J & K and Ladakh	13	4	17	11	4	15	2	0	2
11	Jharkhand	20	5	25	17	1	18	3	4	7
12	Karnataka	47	15	62	39	12	51	8	3	11
13	Kerala	35	12	47	32	4	36	3	8	11
14	Madhya Pradesh	39	14	53	39	1	40	0	13	13
15	Madras	56	19	75	54	13	67	2	6	8
16	Manipur	4	1	5	4	0	4	0	1	1
17	Meghalaya	3	1	4	2	1	3	1	0	1
18	Orissa	24	9	33	20	0	20	4	9	13
19	Patna	40	13	53	35	0	35	5	13	18
20	Punjab & Haryana	64	21	85	41	15	56	23	6	29
21	Rajasthan	38	12	50	34	0	34	4	12	16
22	Sikkim	3	0	3	3	0	3	0	0	0
23	Telangana	32	10	42	21	5	26	11	5	16
24	Tripura	4	1	5	4	1	5	0	0	0
25	Uttarakhand	9	2	11	6	0	6	3	2	5
	<b>Total</b>	<b>840</b>	<b>274</b>	<b>1114</b>	<b>643</b>	<b>140</b>	<b>783</b>	<b>197</b>	<b>134</b>	<b>331</b>

## ANNEXURE-II

### Statement showing pendency of cases in Supreme Court and the High Courts

The number of cases pending in Supreme Court, as on 23.01.2024, are 80,221 cases. The detailed Statement of High-Court-wise pendency of cases are as per Annexure.

<b>High-Court wise Pendency of Cases (as on 23.01.2024)</b>		
Sr No.	High Court	No. of Pending Cases
1	Allahabad High Court	1074789
2	Bombay High Court	722657
3	High Court Of Rajasthan	669554
4	Madras High Court	541829
5	High Court of Madhya Pradesh	447440
6	High Court of Punjab and Haryana	441573
7	High Court of Karnataka	288387
8	High Court of Kerala	255399
9	High Court of Andhra Pradesh	248979
10	High Court for State of Telangana	248088
11	Patna High Court	197798
12	Calcutta High Court	195208
13	High Court of Gujarat	170002
14	Orissa High Court	145882
15	High Court of Delhi	123658
16	High Court of Himachal Pradesh	100276
17	High Court Of Chhattisgarh	90354
18	High Court of Jharkhand	84358
19	Gauhati High Court	62579
20	High Court of Uttarakhand	50762
21	High Court of Jammu and Kashmir	44622
22	High Court of Manipur	4687
23	High Court of Tripura	1271
24	High Court of Meghalaya	1137
25	High Court of Sikkim	182
	<b>Total</b>	<b>6211471</b>

भारत सरकार  
विधि और न्याय मंत्रालय  
न्याय विभाग  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 5  
जिसका उत्तर शुक्रवार, 2 फरवरी, 2024 को दिया जाना है

### उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या

#### 5. श्री महेश साहू :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या कितनी है और वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है ;

(ख) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या का उच्च न्यायालय-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार लंबित मामलों के निपटान के लिए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

### उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);  
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और  
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री  
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : तारीख 29 जनवरी, 2024 की स्थिति के अनुसार, 34 न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या पर, उच्चतम न्यायालय संपूर्ण संख्या पर कार्य कर रहा है तथा वहां कोई रिक्ति नहीं है। जहां तक उच्च न्यायालयों का संबंध है, 1114 न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या पर 783 न्यायाधीश कार्यरत हैं तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 331 पद रिक्त हैं। उच्च न्यायालय-वार, तारीख 29 जनवरी, 2024 को स्वीकृत संख्या, कार्यरत संख्या तथा रिक्तियों का ब्यौरा **उपाबंध-1** पर है।

न्यायालयों में लंबित मामले केवल उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कमी के कारण नहीं हैं किन्तु विभिन्न अन्य घटकों के कारण भी है जैसे कि (i) राज्य तथा केन्द्रीय विधानों की संख्या में वृद्धि, (ii) पहली अपीलों का संचय, (iii) कुछ उच्च न्यायालयों में साधारण सिविल अधिकारिता का जारी रहना, (iv) उच्च न्यायालयों में गए न्यायिककल्प अधिकरणों के आदेशों के विरुद्ध अपील, (v) पुनरीक्षणों/अपीलों की संख्या, (vi) बारंबार स्थगन, (vii) विवेकरहित रिट अधिकारिता का प्रयोग, (viii) सुनवाई के लिए मामलों की मॉनीटरी, खोज तथा एकत्रीकरण के लिए यथोचित व्यवस्था की कमी, (ix) न्यायाधीशों को प्रशासनिक प्रकृति के कार्य सौंपना, आदि।

9 अगस्त, 2019 को, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या (जिसके अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश भी हैं) को बढ़ाकर 31 से 34 किया गया था। जबकि, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों

की संख्या 2014 में 906 से बढ़कर 1114 हो गई है। वर्तमान में, सरकार के पास उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने से संबंधित कोई भी पूर्ण प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या से संबंधित कथन; उच्च न्यायालय-वार **उपाबंध-2** पर रखा गया है।

\*\*\*\*\*

उपाबंध-1

भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या, कार्यरत संख्या तथा रिक्तियों को दर्शाने वाला कथन (29 जनवरी, 2024 की स्थिति के अनुसार)

अ.	उच्चतम न्यायालय	स्वीकृत संख्या			कार्यरत संख्या			रिक्तियां		
		स्थाई	अतिरिक्त	योग	स्थाई	अतिरिक्त	योग	स्थाई	अतिरिक्त	योग
1	इलाहाबाद	119	41	160	76	14	90	43	27	70
2	आन्ध्र प्रदेश	28	9	37	22	8	30	6	1	7
3	बम्बई	71	23	94	40	29	69	31	-6	25
4	कलकत्ता	54	18	72	37	14	51	17	4	21
5	छत्तीसगढ़	17	5	22	10	6	16	7	-1	6
6	दिल्ली	46	14	60	37	5	42	9	9	18
7	गुवाहटी	22	8	30	16	7	23	6	1	7
8	गुजरात	39	13	52	31	0	31	8	13	21
9	हिमाचल प्रदेश	13	4	17	12	0	12	1	4	5
10	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख	13	4	17	11	4	15	2	0	2
11	झारखण्ड	20	5	25	17	1	18	3	4	7
12	कर्नाटक	47	15	62	39	12	51	8	3	11
13	केरल	35	12	47	32	4	36	3	8	11
14	मध्य प्रदेश	39	14	53	39	1	40	0	13	13
15	मद्रास	56	19	75	54	13	67	2	6	8
16	मणिपुर	4	1	5	4	0	4	0	1	1
17	मेघालय	3	1	4	2	1	3	1	0	1
18	उड़ीसा	24	9	33	20	0	20	4	9	13
19	पटना	40	13	53	35	0	35	5	13	18
20	पंजाब और हरियाणा	64	21	85	41	15	56	23	6	29
21	राजस्थान	38	12	50	34	0	34	4	12	16
22	सिक्किम	3	0	3	3	0	3	0	0	0
23	तेलंगाना	32	10	42	21	5	26	11	5	16
24	त्रिपुरा	4	1	5	4	1	5	0	0	0
25	उत्तराखण्ड	9	2	11	6	0	6	3	2	5
	<b>योग</b>	<b>840</b>	<b>274</b>	<b>1114</b>	<b>643</b>	<b>140</b>	<b>783</b>	<b>197</b>	<b>134</b>	<b>331</b>

उपाबंध-2

उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों को दर्शाने वाला कथन

23 जनवरी, 2024 की स्थिति के अनुसार, उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या 80,221 मामले हैं ।  
उच्च न्यायालय-वार लंबित मामलों का ब्यौरेवार कथन उपाबंध के अनुसार है ।

उच्च न्यायालय-वार लंबित मामले (23 जनवरी, 2024 की स्थिति के अनुसार)		
क्र.सं.	उच्च न्यायालय	लंबित मामलों की सं.
1	इलाहाबाद उच्च न्यायालय	1074789
2	बम्बई उच्च न्यायालय	722657
3	राजस्थान उच्च न्यायालय	669554
4	मद्रास उच्च न्यायालय	541829
5	मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय	447440
6	पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय	441573
7	कर्नाटक उच्च न्यायालय	288387
8	केरल उच्च न्यायालय	255399
9	आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय	248979
10	तेलंगाना राज्य उच्च न्यायालय	248088
11	पटना उच्च न्यायालय	197798
12	कलकत्ता उच्च न्यायालय	195208
13	गुजरात उच्च न्यायालय	170002
14	उड़ीसा उच्च न्यायालय	145882
15	दिल्ली उच्च न्यायालय	123658
16	हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय	100276
17	छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय	90354
18	झारखण्ड उच्च न्यायालय	84358
19	गुवाहटी उच्च न्यायालय	62579
20	उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय	50762
21	जम्मू - कश्मीर उच्च न्यायालय	44622
22	मणिपुर उच्च न्यायालय	4687
23	त्रिपुरा उच्च न्यायालय	1271
24	मेघालय उच्च न्यायालय	1137
25	सिक्किम उच्च न्यायालय	182
	<b>योग</b>	<b>6211471</b>

\*\*\*\*\*